



# U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION®

Regd. Under the Societies (Uttar Pradesh Amendment 1975) Act 1860 Since 1987

📍 A2304, Charms Castel, Raj Nagar Extension, Ghaziabad-201017 📞 +91-9837393793 🌐 www.uparchitects.org

## **PRESIDENT**

**AR. JAGESH KUMAR**

2, Prem Prayag Colony, Garh Road,  
Meerut - 250 004  
Mob.: +91-9837393793

## **GENERAL SECRETARY**

**AR. ANKIT AGARWAL**

1st Floor, S2S, Nirmal Arcade 47,  
Garh Road, Meerut - 250002  
Mob.: +91-9997847510

## **PATRON**

**AR. YOGESH CHANDRA**

Ghaziabad  
(+91-9897177196)

## **I.P.P.**

**AR. VINEET GARG**

Noida  
(+91-9999082099)

## **VICE PRESIDENT**

**AR. ANKUR BANSAL**

Meerut  
(+91-9837081156)

**AR. N.K. SHARMA**

Ghaziabad  
(+91-9810200635)

**AR. VIPUL GUPTA**

Noida  
(+91-9350859500)

**AR. VINAYAK GUPTA**

Moradabad  
(+91-9359438900)

## **TREASURER**

**AR. AMIT AGARWAL**

Agra  
(+91-9837016747)

## **JOINT SECRETARY**

**AR. AKSHAT GARG**

Moradabad  
(+91-9927208888)

## **CO-ORDINATOR**

**AR. CHIRAG GUPTA**

Meerut  
(+91-892712131)

पत्रांक संख्या: UPAA/MP/DA/2023/L-133

दिनांक: 14 अक्टूबर 2023

सेवा में

श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी

माननीय सांसद राज्य सभा

मेरठ

विषय:- उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन (UPAA) को विकास प्राधिकरण एवं विनियमित प्राधिकरण के नीतिगत निर्णयों में आवश्यक परामर्श हेतु सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन (यूपीएए) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। यूपीएए उत्तर प्रदेश में आर्किटेक्ट्स के लगभग बीस घटक शहरी चैप्टरों का संगठित मंच है, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी शहरों से वास्तुविद सदस्य हैं, जो सम्बंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार हमेशा रखते रहे हैं, क्योंकि यूपीएए के मंच पर हर शहर के वास्तुविदों का प्रतिनिधित्व है, अतः यूपीएए उत्तर प्रदेश के सभी शहरी विकास एवं निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों एवं नीतियों पर परिष्कृत विचार एवं परामर्श को प्राप्त करने के लिए अति उपयुक्त संगठन हैं।

For U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION

Gen. Secretary


प्रदेश में संचालित विकास प्राधिकरण एवं विनियमित प्राधिकरण (Prescribed Authority) का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रत्येक स्तर पर विकास कार्य कराना है। ऐसे विकास कार्यों को करने हेतु उक्त संस्थाओं को कुछ नियम, उपनियम, मास्टर प्लान आदि तैयार करने पड़ते हैं। ऐसे नियम आदि तैयार करने में उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन (यूपीएए) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उक्त प्राधिकरणों एवं यूपीएए के उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि यूपीएए, उक्त प्राधिकरणों के नीतिगत निर्णयों में अपने मंच के माध्यम से सहायता प्रदान करे। उपरोक्त मंतव्य को आपके समक्ष इस पत्र के माध्यम से इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि उक्त प्राधिकरणों की नीतिगत निर्णयों से सम्बंधित होने वाली बैठकों, एवं नीतिगत निर्णयों हेतु विभिन्न सुझावों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों में यूपीएए के नामित सदस्यों जैसे कि यूपीएए के अध्यक्ष अथवा/एवं उनके द्वारा नामित सदस्य को सम्मिलित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है जिस हेतु श्री नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा एसोसिएशन को मौखिक आश्वासन भी दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रार्थना पत्र को सम्बंधित विभाग/प्राधिकारी के समक्ष अग्रसारित कर एसोसिएशन का पक्ष रखते हुए यूपीएए के अध्यक्ष अथवा/एवं उनके द्वारा नामित सदस्य को विकास प्राधिकरण एवं विनियमित प्राधिकरण के नीतिगत निर्णयों में आवश्यक परामर्श हेतु सम्मिलित कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी इसके लिए आपके सदैव आभारी रहेंगे।

सादर of U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION

  
Gen. Secretary  
अंकित अग्रवाल (वास्तुविद)  
महासचिव